



57

न्यायालय माननीय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

क्र. 3545 - PB/11C

श्री विमान दीवार, को
द्वारा आज दि. 7-10-16 को
प्रस्तुत

राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

राजगदीश पिता बाबूलाल राठौर जाति तेली उम्र 48 वर्ष

धंधा खेती निवासी ग्राम तीसगांव तह0 व जिला धार निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन

..... विपक्षी

224
7-10-16

7/10/16
वाकट दीवार (05.)

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि ग्राम भिडोताखुर्द तहसील व जिला धार की भूमि सर्वे नंबर 382/2 रकबा 0.506 हैक्टर व 382/1 रकबा 0.506 हैक्टर होकर जिस संबंध में विधिक रूप से आज्ञा पूर्व स्वामी की हुई है। यों भी विधि में उक्त आज्ञा की अपील व निगरानी व चेलेंज 180 दिन के अंदर नहीं है। ऐसी दशा में आयुक्त महोदय इंदौर संभाग इंदौर में ने कोई आज्ञा मेरी पीठ पीछे कोई आज्ञा पुनर्वलोकन बाबद दी है तो वह व्यर्थ है। ऐसी दशा में राजस्व प्रकरण क्रमांक 06/अ-6अ/2011-12 में की गई कार्यवाही नोटिस व आधार व्यर्थ है। शून्य है विचाराधिकार रहित आज्ञा है। उस पर से नोटिस भी विचाराधिकार रहित है बिना सूचना के बिना हितधारी को बुलाये पुनर्विचार का प्रतिवेदन मंजूरी आयुक्त महोदय इंदौर संभाग इंदौर की व उस पर से नोटिस तहसील का कार्यवाही का प्रारंभ व प्रतिवेदन व मंजूरी और तहसीलदार महोदय धार द्वारा अपने राजस्व प्रकरण क्रमांक 06/अ-6अ/2011-12 में जो सूचना दिनांक 18.07.2016 व 20.07.2016 व अग्रिम कार्यवाही विचाराधिकार रहित है व्यर्थ है शून्य है। उसे निगरानी में लेकर अपास्त बाबद यह निगरानी अर्ज निम्न आधारों पर सादर सदभावनापूर्वक कानून सम्मत पेश है :-

(Signature)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3545-पीबीआर/2016

जिला धार

रवाना तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पदाधिकारी एवं अधिकारियों
अभि के द्वारा

7-12-16

यह प्रकरण रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक 9247-पीबीआर/16 में पारित आदेश दिनांक 7-12-16 से पुनः नम्बर पर लिया गया है। आवेदक की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित अधिवक्ता उपस्थित। तहसील न्यायालय के पत्र क्रमांक 1580/री-1/2016 धार दिनांक 18-7-16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक का जबाव प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है। इस प्रकरण का अंतिम निराकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि वे आवेदक को जबाव प्रस्तुत करने का एक और अवसर प्रदान करें। इस न्यायालय में प्रकरण समाप्त किया जाता है।




अध्यक्ष